समाहरणालय, जहानाबाद।

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग

फोन न0 :- 06114-223001, 223072

फैक्स न0 :- 06114-223142

ई0 मेल :- dm_jehanabad.bih@nic.in

पत्रांक /जि.सा.सु.को.

दिनांक मार्च, 2015 ई0

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल पोर्टल एन0एस0ए0पी0 पर डाटा बेस अद्यतन करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार कार्ड संख्या डालना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के बेवसाईट एन0एस0ए0पी0 पर डाटा बेस अद्यतन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार कार्ड संख्या भुगतान के समय भुगतान पंजी पर अंकित करें तथा जिन पेंशनधारियों का आधार कार्ड संख्या वितरण के समय अंकित नहीं हो सके उसका आधार कार्ड संख्या विकास मित्र, पंचायत सेवक आदि की मदद से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्राप्त आधार कार्ड संख्या की छाया प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें की प्रखण्ड आर0टी0पी0एस0 केन्द्र पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन के साथ आधार कार्ड से संबंधित कागजात भी जमा लेकर जिला सामाजिक सुरक्षा के बेवसाईट www.sapjehanabad पर निबंधन के समय उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

ह0/

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।

ज्ञापांक V-10/15 118 /सा0सु0, जहानाबाद दिनांक 12 मार्च 2015 ई0.

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर/सभी अंचलाधिकारी, जिला-जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अश्विनी कुमार, मेसर्स सी0एस0एम0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला सामाजिक सुरक्षा के बेवसाईट www.sapjehanabad.in के निबंधन प्रपत्र में आधार कार्ड संख्या की प्रविष्टि हेतु कॉलम उपलब्ध करायें तथा डाटाबेस में भी इसका संधारण करें।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0सेल, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त आदेश को जिला बेवसाईट पर संधारित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रखण्ड प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।